राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

62वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 61वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग
	ग) आरसेटी
एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण	क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18
	ख) ऋण-जमा अनुपात - बैंकवार एवं जिलावार
एजेण्डा संख्या - 4 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) समस्त बचत बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग
	घ) सामाजिक बीमा योजनाएं
	ङ) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या - 5 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
	ख) फसल बीमा योजना
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
	घ) डेयरी उद्यमिता विकास योजना
	ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 - अल्पाविध फसली ऋण हेतु ब्याज सहायता योजना
एजेण्डा संख्या - 6: समाज कल्याण योजनाएं	क - i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क - ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (C.L.S.S.)
	ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान
एजेण्डा संख्या - 7 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना
	ग) हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना
	घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	च) स्टैण्ड अप इण्डिया
	छ) ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण
एजेण्डा संख्या - 8 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
62वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017 की कार्य सूची

एजेण्डा संख्या - 1 : 61वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **61वीं** बैठक दिनांक 24 मई, 2017 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **उप-समितियों** की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 03 अगस्त, 2017**
2. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 11 अगस्त, 2017**
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 21 अगस्त, 2017**

एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची

क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :
(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

दिनांक 11 अगस्त, 2017 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार हेतु डोईवाला एवं विकासनगर तहसील में बैंकों द्वारा पायलट आधार पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है, जिसे पूरे राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 18 अगस्त, 2017 को मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखंड शासन के द्वारा पूरे राज्य में इसके क्रियान्वयन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है, जिसके तहत शासन स्तर से शीघ्र शासनादेश जारी किया जाना प्रतीक्षित है।

ख) वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग : " SLBC - 39 "

दिनांक 11 अगस्त, 2017 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बडौदा से वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित वेब एप्लीकेशन के संदर्भ में **User Acceptance Certificate (UAC)** की अपेक्षा की गयी थी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उक्त बैंकों से **UAC** प्राप्त कर दिनांक 18 अगस्त, 2017 को एन.आई.सी. को उपलब्ध करा दिया गया है। राजस्व विभाग तथा तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. से अनुरोध है कि संदर्भित वेब एप्लीकेशन से संबंधित सिक्योरिटी ऑडिट एवं अन्य औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूर्ण कर इसे बैंकों के प्रयोगार्थ शासन स्तर से आदेश जारी करवाने की कार्यवाही करें।

30 जून, 2017 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :

(₹ करोड़ में)

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति		
	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	8214	76.03
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	1482	14.74
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	1366	23.57
पाँच वर्ष से अधिक	26463	180.78
कुल लम्बित आर.सी.	**37525**	**295.12**
01.04.2017 से 30.06.2017 तक वसूली की स्थिति	**1366**	**9.35**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जून त्रैमास की समाप्ति तक **37525** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष कुल **₹ 295.12 करोड़** की राशि लम्बित थी, जिसके विरुद्ध **1366** खातों में **₹ 9.35 करोड़** की वसूली की गयी है, जो कि कुल लम्बित राशि का मात्र **3.19%** है।

ग) <u>आरसेटी</u> :

राज्य में वर्तमान में 13 आरसेटी संस्थान कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत **247** प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत **6580** अभ्यार्थियों को वांछित क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। MoRD, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के मई, 2017 माह की समाप्ति तक **39** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **792** अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा कार्य आरम्भ करने (01.04.2011) से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति निम्नवत है :

कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	**कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत**
1443	**39118**	**26698**	**68%**

जून, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों द्वारा पूर्व में बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय किए गए **₹ 18.87 लाख** की प्रतिपूर्ति लम्बित है। शासन से अनुरोध है कि लम्बित राशि का आरसेटी संस्थानों को शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रूप से संभव हो सके।

एजेण्डा संख्या - 3 : <u>बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण</u>

<u>क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18</u> : " SLBC - 03 "

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 18468.80 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा जून, 2017 तक **₹ 3497.70 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में दर्ज की

गयी है जो कि लक्ष्य का **19%** है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **15%** से **4%** अधिक है।

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6524.51	1101.33	17%
सावधि ऋण	3225.14	336.00	10%
फार्म सेक्टर (कुल)	**9749.65**	**1437.33**	**15%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4937.81	881.89	18%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3781.34	1178.48	31%
कुल योग	**18468.80**	**3497.70**	**19%**

निम्न **प्रमुख बैंकों** द्वारा जून, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष वांछित मानक **15 प्रतिशत** से कम की प्राप्ति की गयी है।

(₹ करोड़ों में)

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत प्राप्ति
आईसीआईसीआई बैंक	33	137.79	1.22	1%
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	85	726.80	13.28	2%
सिंडिकेट बैंक	55	140.91	5.15	4%
इलाहाबाद बैंक	42	404.37	20.13	5%
इण्डियन ओवरसीज बैंक	47	386.12	21.41	6%
बैंक ऑफ इण्डिया	35	204.92	12.04	6%
यूको बैंक	57	286.62	21.24	7%
एक्सिस बैंक	34	310.65	24.32	8%
केनरा बैंक	84	736.12	68.91	9%
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	229	1228.71	127.35	10%
बैंक ऑफ बड़ौदा	122	1599.86	160.16	10%

समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें आबंटित वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को सेक्टर-वार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ख) <u>ऋण-जमा अनुपात</u> : **" SLBC - 01 "**

i) <u>बैंकवार</u> :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के **प्रथम त्रैमास** की समाप्ति पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात 54% है। परंतु **निम्न प्रमुख बैंकों** का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत से कम है,** जिसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है।

बैंक	शाखाओं की संख्या	जून, 2017
विजया बैंक	13	19%
इण्डियन बैंक	12	24%
सेन्ट्रल बैंक	41	29%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	05	36%
सिंडिकेट बैंक	55	38%

उपरोक्त बैंक नियंत्रक ऋण-जमा अनुपात को आगामी त्रैमास में बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

ii) <u>जिलावार</u> :

निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	जून, 2017
अल्मोड़ा	146	20%
बागेश्वर	50	22%
पौड़ी	193	22%
चम्पावत	54	23%
रुद्रप्रयाग	54	25%
टिहरी	135	26%
चमोली	93	26%
पिथौरागढ	104	32%
देहरादून	553	32%

उपरोक्त जिलों के **अग्रणी जिला प्रबंधक** विभिन्न विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर, पहाड़ी जिलों के लिए ऋण-जमा अनुपात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 40 प्रतिशत की प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत रुपरेखा से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के साथ-साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराएं।

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>वित्तीय समावेशन</u>

क) <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना **(<u>संलग्न Annexure -</u>** <u>1</u>) के अनुरुप आंबटित कनेक्टिविटी रहित **1181** एस.एस.ए. में से **387** एस.एस.ए. में वैकल्पिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना सूचित किया गया है। शेष **794** एस.एस.ए. में से **743** एस.एस.ए. के लिए वी.-सैट के आर्डर बैंकों द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं तथा **401** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित कर दिए गए हैं। नैनीताल बैंक द्वारा अभी तक **49** एस.एस.ए. हेतु वी.सैट के आर्डर प्रेषित नहीं किए गए हैं।

साथ ही दिनांक 24 मई, 2017 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड बैठक में इस विषयक दिए गए आश्वासन पर कृत कार्यवाही से अवगत भी नहीं कराया गया है। दिनांक 03 अगस्त, 2017 को आयोजित बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा नैनीताल बैंक को पुन: निर्देशित किया गया कि वे आगामी एक माह के अंदर वी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर, इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। नैनीताल बैंक के नियंत्रक कृपया इस विषयक हुई प्रगति से सदन को अवगत कराएं। साथ ही सभी संबंधित बैंक नियंत्रक अवशेष बचे एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने के कार्य को 30 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना सुनिश्चित करें।

ख) <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

		मार्च, 2017	**31 जुलाई, 2017 तक**
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	20,56,975	20,56,975
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	21,54,013	21,84,340
ग)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों में आधार सीडिंग की संख्या	12,66,662	14,86,817 **(68.07%)**
घ)	बैंक के समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या **1. कुल बचत खातों की संख्या - 1,17,40,796** **2. उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या - 1,00,86,290** **3. आयु वर्ग 0 से 9 वर्ष की जनसंख्या - 19,83,665** **4. आधार संख्या से लिंक किए जाने योग्य जनसंख्या (2-3) - 81,02,625**	61,60,051	74,46,144 **(63.42%)** **(73.82%)** **(91.90%)**
ङ)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	18,07,651	18,14,792
च)	अवितरित (**Undelivered**) रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	1,18,542	83,447
छ)	अवितरित (**Undelivered**) रु-पे पिन कार्ड की संख्या	1,24,283	78,516

दिनांक 03 अगस्त, 2017 को बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत सभी बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग तथा रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड उनके खाताधारकों को ठोस कार्ययोजना बनाकर वितरित करें एवं अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड के पिन नंबर, जो कि अब

बैंकों द्वारा डिजीटल आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, के संबंध में अपने ग्राहकों को जागरुक करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं।

ग) <u>समस्त बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग</u> :

भारत सरकार द्वारा **धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (पीएमएल नियम 2005)** में संशोधन कर दिनांक 01 जून, 2017 से सभी बैंक खातों के लिए आधार आवश्यक कर दिया गया है। इस क्रम में बैंकों द्वारा सभी मौजूदा बैंक खातों में **31 दिसम्बर, 2017** तक आधार के साथ सत्यापित किया जाना है, ऐसा न करने पर खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। अत: समस्त बैंक अपने मौजूदा सभी बैंक खातों में दिनांक **31 दिसम्बर, 2017** तक अनिवार्य रुप से आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करें।

इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा पूर्व में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने फील्ड स्टॉफ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण के बैंक खातों में आधार सीडिंग हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति एकत्रित कर संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध करवाएं, जिससे कि शत प्रतिशत खातों में आधार सीडिंग के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

सदन को यह भी अवगत कराना है कि मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में प्रत्येक जिले में **25.07.2017 से 10.09.2017** के मध्य विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मनरेगा श्रमिकों के आधार की छायाप्रति तथा सहमति पत्र एकत्रित कर बैंक शाखाओं को जिला प्रशासन / विकास खण्ड कार्यालय के स्तर से प्रेषित किए जा रहे हैं। बैंक नियंत्रक उनकी शाखाओं को इस प्रकार प्राप्त होने वाले आधार संख्या को संबंधित बैंक खातों में त्वरित रुप से सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। सभी अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषयक हुई प्रगति की सूचना पाक्षिक आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

घ) <u>सामाजिक बीमा योजनाएं</u> :

इस योजना के अंतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

योजना		मार्च, 2017	31 जुलाई, 2017
क)	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	13,93,378	15,29,991
ख)	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	4,02,411	4,29,338
ग)	अटल पेंशन योजना	27,990	42,130

सभी बैंक नियंत्रक अधिक से अधिक संख्या में पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत करने हेतु विशेष प्रयास करना सुनिश्चित करें।

ङ) <u>वित्तीय साक्षरता</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी नियंत्रणाधीन प्रत्येक ग्रामीण शाखा अपने कार्यक्षेत्र / सेवाक्षेत्र के ग्रामों में प्रत्येक माह कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें, जिसमें ग्रामीण जनता को सरकार प्रायोजित रोजगारपरक ऋण योजनाओं / बैंक योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उन्हें नकद रहित लेन-देन पद्धति को अपनाने हेतु जागरुक करने पर विशेष बल दिया जाए।

01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक आयोजित साक्षरता कैम्प की संख्या :

	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	**एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या**	**कुल कैम्प की संख्या**
अप्रैल-जून, 2017 त्रैमास	1139	815	1954

सभी बैंक एफ.एल.सी. कैम्पों से संबंधित त्रैमासिक सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को त्रैमास समाप्ति के 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी **05 जून, 2017 से 09 जून, 2017** तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का उद्घाटन श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा किया गया था, जिसमें राज्य सरकार / बैंकों / अन्य संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सहभागिता की। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा भी कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत टाऊन हॉल कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उत्तराखंड राज्य में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के दौरान विभिन्न बैंक शाखाओं एवं वित्तीय साक्षरता केंद्रो द्वारा लगभग **900** वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>ग्राम्य विकास योजनाएं</u>

क) <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिनांक 11 अगस्त, 2017 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया गया कि वे इस विषयक नीति आयोग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में संयोजक के रुप में सभी संबंधित विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के साथ एक बैठक आयोजित कर रोडमैप तैयार करें। मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध है कि इस संदर्भ में शासन स्तर पर एक राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स (**SLTF**) का गठन किया जाए।

ख) <u>फसल बीमा योजना :</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 में **रिस्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2017** के अंतर्गत **33,582 कृषकों** की फसल बीमित की गयी है जब कि **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ 2017**

के अंतर्गत 15 जुलाई, 2017 तक संकलित सूचना के अनुरुप **82,236 कृषकों (कुमायूँ मण्डल हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. - 54114 तथा गढ़वाल मण्डल हेतु ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी - 28122)** की फसल बीमित की जा चुकी है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि इस विषयक अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

ग) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> : **" SLBC - 18 "**

वित्तीय वर्ष **2017-18 के प्रथम त्रैमास** की समाप्ति पर **"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन"** योजनांतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुरुप निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
3168	103	29	27	8.85	-	74

दिनांक 11 अगस्त, 2017 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **3168** के सापेक्ष बैंक शाखाओं को मात्र **103** ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही संबंधित विभाग को अक्टूबर, 2017 माह की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करने एवं इसकी सूचना बैंकवार / शाखावार संबंधित बैंक नियंत्रकों को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। बैंक नियंत्रकों को भी निर्देशित किया गया कि वे लम्बित / प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

घ) <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> : **" SLBC - 46 "**

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के प्रथम त्रैमास** की समाप्ति में बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुरूप प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / लम्बित आवेदन पत्र
316	288	278	632.67	28

ङ) <u>वित्तीय वर्ष 2017-18 - अल्पावधि फसली ऋण हेतु ब्याज उपादान योजना</u> :

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या FIDD.CO.FSD.BC.No.14/05.02.001/2017-18 दिनांकित 16 अगस्त, 2017 के अनुसार भारत सरकार द्वारा **Interest Subvention Scheme** के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में किसानों को ₹ 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसली ऋण बैंकों द्वारा 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराने को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ₹ 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसली ऋणों का **समयबद्ध चुकौती (Timely Repayment)** करने वाले किसान भारत सरकार से अतिरिक्त 3 % **Interest Subvention** प्राप्त करने के पात्र होंगे।

एजेण्डा संख्या - 6 : <u>समाज कल्याण योजनाएं</u>

क - i) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> : " SLBC - 16 एवं 17 "

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के प्रथम त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
2058	**555**	**213**	**205**	**177.73**	**44**	**298**

क - ii) <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

सब को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **"प्रधानमंत्री आवास योजना घटक ऋण आधारित अनुदान योजना"** लागू की गयी है, जिसके क्रियान्वयन हेतु नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको नोडल एजेन्सी हैं। योजना के प्रारुप के अनुसार **₹ 6,00,001/- से ₹ 18,00,000/-** तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी मकान नहीं है, वे ऋण की पात्रता रखते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के तहत बैंकों में ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। बैंकों द्वारा लाभार्थियों को देय ब्याज सब्सिडी का भुगतान हुडको या नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास में निम्नानुसार प्रगति दर्ज की गयी है।

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	73	514.35	135.72
हुडको	31	158.25	41.12
योग	**104**	**672.6**	**176.84**

अब तक उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल **238** लाभार्थियों को **₹ 16.01 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। संबंधित विभाग से अनुरोध है कि इस विषयक अद्यतन विस्तृत प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

ख) <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> : " SLBC - 15 "

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के जून त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

i) <u>अनुसूचित जाति</u> :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1459	253	151	90	49.59	01	101

ii) <u>अनुसूचित जन-जाति</u> :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	आवेदन स्वीकृत	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
100	22	06	02	0.40	-	16

<u>iii) अल्पसंख्यक समुदाय</u> :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
225	06	06	06	5.67	-	-

एजेण्डा संख्या - 7 : <u>अवस्थापना विकास योजनाएं</u> :

क) <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> : **" SLBC - 27 "**

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत 30 जून, 2017 तक **3,21,129** इकाईयों के सापेक्ष **₹ 15,259 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जिसमें मार्च, 2017 त्रैमास से **₹ 102 करोड़** की प्रगति दर्ज हुई है। समस्त बैंकों से अनुरोध है कि एम.एस.एम.ई. सेक्टर में अधिक से अधिक इकाईयों को ऋण वितरित करना सुनिश्चित करेंगे।

ख) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना</u> : **" SLBC - 28 "**

वित्तीय वर्ष **2017-18 में जून त्रैमास** की समाप्ति तक सभी बैकों द्वारा **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ों में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	7224	24.12
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	6489	128.94
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	1619	112.93
	कुल संख्या एवं ऋण राशि	**1896.22**	**15332**	**265.99**

समस्त बैंक नियंत्रक योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

ग) हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना : **" SLBC -14 "**

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1750	**32**	**32**	**31**	**51.35**	**-**	**-**

घ) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> : **" SLBC - 7 "**

सभी बैंकों द्वारा उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष **30 जून, 2017** तक निम्नवत् ऋण वितरित किए गए हैं ;

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
DIC - 390	669	23	06	31.15	55	591
KVIC - 292	188	05	03	17.00	10	173
KVIB - 293	348	23	08	31.95	27	298
Total - 975	**1205**	**51**	**17**	**80.10**	**92**	**1062**

लम्बित **1062** आवेदन पत्रों के संदर्भ में सदन को अवगत कराना है कि इनमें से अधिकांश आवेदन पत्र दिनांक **15.06.2017** के उपरांत बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं, जिनकी प्रगति सितम्बर त्रैमास की समाप्ति पर परिलक्षित होनी संभव होगी। 15 अगस्त, 2017 की समाप्ति तक बैंकों को कुल प्रेषित **2033** आवेदन पत्रों के सापेक्ष **395** ऋण आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **55** आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किए गए हैं।

ङ) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : **" SLBC - 9 "**

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के प्रथम त्रैमास** की समाप्ति पर सभी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

लक्ष्य	बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन- 200	47	22	09	90.07	02	23
गैर-वाहन- 200	33	08	02	28.36	05	20
कुल योग- 400	**80**	**30**	**11**	**118.43**	**07**	**43**

च) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : **" SLBC - 44 "**

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा **(जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त)** को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष **2017-18 के प्रथम त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ग**	**31.03.2017 तक**		**2017-18 के प्रथम त्रैमास तक की प्रगति**		**कुल योग**	
		वितरित ऋणों की संख्या	**वितरित ऋण राशि**	**वितरित ऋणों की संख्या**	**वितरित ऋण राशि**	**वितरित ऋणों की संख्या**	**वितरित ऋण राशि**
1.	महिला	444	94.94	71	17.95	515	112.89
2.	अनुसूचित जाति	60	13.70	08	1.16	68	14.86
3.	अनुसूचित जनजाति	31	6.07	04	0.56	35	6.63
	कुल	**535**	**114.71**	**83**	**19.67**	**618**	**134.38**

अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की दिनांक 21.08.2017 को आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में धीमी प्रगति का मुख्य कारण पात्र महिला / अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमियों, विशेष रुप से पर्वतीय जिलों में, नहीं मिल पाना है। अध्यक्ष महोदय, अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना), उत्तराखंड शासन द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया कि ग्रुप ऋण वितरण के माध्यम से इस योजना में प्रगति लाने का प्रयास बैंकों द्वारा किया जाए।

छ) <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण :</u>

सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं से संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्तियों के ऋण आवेदन पत्र चयनित कर बैंक शाखाओं को प्रेषित करना एवं इसकी शाखावार सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। साथ ही सभी बैंक नियंत्रक सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के तहत उनकी शाखाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

एजेण्डा संख्या - 8 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

****